

बिहार सरकार,
श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक-

संख्या- 1/श्रम वि०ई० 6-6014/2010 श्र०सं०...../ श्री संजय कुमार सिन्हा,
जिला नियोजन पदाधिकारी, नालंदा को बिहार सेवा संहिता के नियम 227 एवं 230 में निहित
प्रावधान के तहत दिनांक 01.01.16 से 31.01.16 तक कुल 31 (एकतीस) दिनों की उपाजित
छुट्टी की स्वीकृति दी जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(विजय कुमार सिंह)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-1/श्रम वि०ई० 6-6014/2010 श्र०सं० **228**...../ पटना, दिनांक-**19/02/2016**

प्रतिलिपि : अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र में
प्रकाशनार्थ/महालेखाकार, बिहार, पटना/अवर सचिव, वित्त (वै०दा०नि०को०)
विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/निदेशक
नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना/उप निदेशक (नियोजन), पटना प्रमण्डल,
पटना/सम्बन्धित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

19/2/16